न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 09/2019

1. प्रकाश पुत्र चन्द्र जाति मीना निवासी रूडमल का बास तहसील व जिला दौसा।
.. अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार दौसा दिनांक 29.10.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम प्रकाश मु0नं0 159/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

निर्णय दिनांक: 01.10.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा जिला दौसा ने दिनांक 29.10.2018 को ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा के आराजी खसरा नम्बर 80 में से रकबा 0.15 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अपीलांट को कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई नोटिस नहीं दिया तथा पत्रावली पर कोई रिकॉर्ड व दस्तावेज भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नहीं है। पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई एवं पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का मौका भी नहीं दिया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट की ओर से अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाना व्यक्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील प्रति पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया ।पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। बाद तामील अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट की ओर से खसरा नंबर 80 रकबा 0.15 है0 से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपीलांट के शपथ–पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2018 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official